न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम.नं. 2023 / 330

मुकदमा नम्बर 91 / 2023 दायर दिनांक–21.08.2019

1. शीशपाल पुत्र श्री गिरधारीराम जाति निवासी दुलपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुंनू
2. फूली पुत्री श्री गिरधारीराम जाति जाट निवासी दुलपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुंनू
3. हसती पुत्री गिरधारीराम जाति जाट निवासी दुलपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुंनू

– प्रार्थीगण

बनाम

1. मोहर सिंह पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी दुलपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुंनू
2. शीशराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी दुलपुरा तहसील मलसीसर, जिला झुझुंनू
3. रामसिंह पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी दुलपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुंनू
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार मलसीसर जिला झुझुंनू
5. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा टमकोर जरिये शाखा प्रबन्धक

–अप्रार्थीगण

वकील आवेदक : – श्री विजेन्द्र सिह जाखड़

वकील अनावेदक :– श्री दयाराम सैनी, बेला सैनी

प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955

:: आदेश :: दिनांक –14 / 10 / 2024

यह प्रा0 पत्र आवेदक द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955 को इस कदर पेश किया गया कि, ग्राम गोखरी तहसील मलसीसर के हाल खसरा नं. 20 की हाल नक्शा सीट में नजरी नक्शा में दर्शित लालस्याही से रास्ता को आवेदकगण एंव अनावेदक नं. 3 को अपने खेत मे आने जाने के लिये 10 फीट चौडाई का रास्ता गै. मु. दिया जावे। 10 फीट चौडाई कि जितनी जमीन ख.नं. 20 में से जाती है उतनी जमीन ख. नं. में से कम की जाकर रास्ते में शामिल की जावे तथा जितनी जमीन रास्ते में जाती है उतनी जमीन की वर्तमान डीएलसी रेट के मुताबिक अनावेदक नं. 1 व 2 को देने के लिये तैयार हैं।

प्रा. पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर जिला झुझुंनू से स्थानातरित होकर पेश हुआ है। प्रकरण विचाराधीन रहने के दौरान ही तहसीलदार मलसीसर से रिपोर्ट प्राप्त की जो उनके पत्रांक भू.अ. / 2024 / 1507 दिनांक 7 / 10 / 2024 द्वारा पेश हुई। प्रकरण में आवेदकगण तथा अनावेदकगण की और से एक राजीनामा 100 / – के नोनज्यूडिशियल स्टांम्प पर नोटेरी से तस्दीक शुद्दा इस कदर पेश हुआ कि:–

98

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ में विचाराधीन प्रकरण अन्तर्गत धारा 251 (क) उनवानी शिशपाल बनाम मोहरसिंह मु.नं. 91/2023 में राजस्व ग्राम गोखरी के ख.नं. 21 के खातेदारों द्वारा ख.नं. 20 मे से आने जाने हेतु रास्ता चाहा है। प्रकरण में दिनांक 19.09.2024 तहसीलदार मलसीसर द्वारा नोटिस दिये जाने पर पक्षकार उपस्थित आये। मोके पर भू.अ. निरीक्षक मलसीसर तथ पटवारी हल्का गोखरी द्वारा आवेदकगण व अनावेदकगण को समझाईस की गई। जिसको दोनो पक्षो द्वारा स्वीकार कर प्रकरण मे समझौता किया है। समझौते के बिन्दू निम्न है:–

1. ख.नं. 20 के खातेदार प्रतिवादीगण मोहरसिंह पुत्र शेराराम जाट ने उक्त ख.नं. 20 की उत्तरी सीमा के सहारे लम्बाई 167 मीटर X चौडाई 5 मीटर = 835 वर्ग मीटर भूमि रास्ते मे देने हेतु सहमत है।
2. ख.नं. 21 के खातेदार वादीगण उक्त रास्ते के बदले मे दुगूनी अपने ख.नं. 21 मे से देने हेतु सहमति जाहिर की है। उक्त दी गई भूमि ख.नं. 20 व 21 के मध्य सीमा में ख.नं. 21 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे 1670 वर्ग मीटर भूमि देने हेतु सहमत है।

प्रकरण में आवेदक शिशपाल सिंह तथा अनावेदक सं. 1 मोहरसिंह उपस्थित हुये जिनकी पहचान उनके वकुलान द्वारा की गई। अनावेदक सं. 2 शीशराम की और से उनके वकील ने सहमति दी।

प्रकरण मे राजीनामा पेश होने तथा दोनो पक्षो द्वारा राजीनामे में अंकित बिन्दूओं पर सहमति देने पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में लोकअदालत की भावना से राजीनामा किया गया है।

बहस राजीनामा प्रा. पत्र पर बगौर सुनी गई । प्रा. पत्र आपसी सहमति,राजीनामे का होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा मुताबिक राजीनामा/समझौता पत्र, यह प्रा. पत्र 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि, ग्राम गोखरी तहसील मलसीसर के ख.नं. 20 की उत्तरी सीमा के सहारे लम्बाई 167 मीटर X चौडाई 5 मीटर = 835 वर्ग मीटर भूमि पर गै.मु. सिवायचक रास्ता दर्ज कर कायम कर दिया जावे। ख. नं. 21 मे से रास्ते के बदले दुगूनी भूमि 1670 वर्ग मीटर, मुताबिक समझौता पत्र दिनांक 24. 09.2024 अनुसार ख.नं. 20 व 21 के मध्य सीमा में ख.नं. 21 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे (1670 वर्ग मीटर) भूमि, अनावेदकगण (ख.नं. नं. 20 के खातेदारों) के पक्ष मे समायोजित करते हुये खातेदारी दर्ज कर दी जावे। तद्नुसार ही राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे मे अमलदरामद किया जावे। पक्षकारों दिनांक 24.09.2024 को किया गया समझौता पत्र इस निर्णय का भाग होगा।

Scanned with CamScanner

तहसीलदार मलसीसर जिला झुझुंनू, मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड मे आवश्यक दुरूस्ती व अमलदरामद कर मौके पर पालना सुनिश्चित करवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 14/10/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned with CamScanner